......................उनवान......................बनाम......................

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
16/8/21	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी के वकील उप० बहस के समय चाहते हैं। वास्ते बहस दिनांक 7/9/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
7.9.21	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान कॉलिंग कराया वकील प्रार्थी व अप्रार्थी No instruction pleaded किया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.9.21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	No instn. pleaded for deft. (प्रोसिडिंग/अप्रार्थी)
24-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.9.21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
27-9-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाकर श्री लिखित निर्णय पृथक से लिखा जाकर आदेश किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील रिकार्ड के दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय कडनलाल श्री हिमांशु शर्मा आर ए एस
उप खण्ड अधिकारी बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं० 26/05 प्रा०पत्र
दायरा दिनांक :- 4.5.2005
निर्णय दिनांक :- 27.9.2021

इजलास

तीजू बाई पुत्री केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी खेराली तह० बारां

बनाम

1. कान्हा पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ निवासी खेराली तह० बारां
2. आनन्दीलाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ नि० खेराली तह० बारां

प्रा०पत्र बाबत वाद पत्र पुनः सुनवाई हेतु
निर्णय दिनांक :- 27.9.2021

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री कृष्ण कान्त शर्मा - प्रार्थी
2. श्री योगेश [illegible] नागर - अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र पुनः सुनवाई हेतु पेश किया गया कि वादनी ने उक्त इजलास वाद न्याया० मे पेश किया था वादी के वाद को वाद सुनवाई न्याया० ने [illegible] खारिज कर दिया तथा प्रतिवादीगण की गलती से गलत प्रार्थी की जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा दस्तन्दाजी करने पर वादनी ने उक्त वाद के साथ आदेश धारा 212 R का प्रार्थना पत्र भी न्याया० मे वाद के साथ पेश किया जो प्रार्थी के पक्ष मे स्वीकार हो गया है न्याया० [illegible] के विरुद्ध अप्रार्थी / प्रति० ने राजस्व अपील अधिकारी [illegible] जो राजस्व न्याया० राजस्व मण्डल होकर वर्तमान [illegible] न्याया० जयपुर मे विचाराधीन है प्रार्थी के उच्च न्याया० के अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह ने प्रार्थीया

उप खण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से उक्त वाद बाबत जानकारी की तथा जानकारी करने पर वही कठिनाई से उक्त वाद बाबत जानकारी हुई है उक्त वाद विधि किसी सुनवाई/व निर्णय के आकरण रिकार्ड रूम बारां मे जमा है उक्त एक लम्बे से हुई है गुणावगुण पर वाद का निर्णय होना आवश्यक है प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब की विशेष आपत्ति मे बताया कि उक्त विवादित वाद के पक्षकारान एवं विवादित आराजीयात एक ही तथा इसी विवादित आराजीयात से संबंधित न्याया. अति. मुन्सिफ न्यायिक (क.ख.) बारां मे विक्रय पत्र दिनांक 6.10.1980 निरस्त किये जाने बाबत वाद प्रस्तुत किये थे जिनके उनवान बीनू बनाम कन्हैयालाल केस नं. 3/99 - बीनू बनाम आनन्दीलाल प्रकरण सं. 4/99, बीनू बनाम गिर्राज प्रकरण सं. 41/99, बीनू बनाम पुरुषोत्तम प्रकरण नं. 10/96 है जिनमे मान. न्याया. अति. मुन्सिफ न्याया. (क.ख.) बारां ने दिनांक 7.9.99 को उक्त प्रकरणों को खारिज कर दिया गया है जिसके बाद वादिया प्रार्थिया ने अपर जिला न्यायाधीश महोदय बारां के यहां उक्त आदेश दिनांक 7.9.99 की अपील पेश की जिसमें भी मान. अपर जिला न्यायाधीश महोदय बारां ने दिनांक 15.10.2003 को बउनवान प्रकरण बीनू बनाम गिर्राज प्रकरण नं. 60/02, बीनू बनाम कन्हैयालाल प्रकरण नं. 61/02, बीनू बनाम आनन्दीलाल प्रकरण नं. 62/02, बीनू बनाम पुरुषोत्तम प्रकरण नं. 63/02 को खारिज दफा किया गया है प्रार्थिया का प्रार्थना खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का [illegible] प्रार्थिया का वाद पत्र बिना किसी सुनवाई/के खारिज [illegible] गया था। वादिया द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 3

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रकरण के पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आ सके। प्रार्थिया द्वारा ज्ञान क्रम कर कोई गलती नहीं की है प्रार्थिया को पूर्व सुनवाई कर निर्णय पारित नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थिया के वाद पत्र का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे। प्रार्थिया का प्रा०पत्र स्वीकार कर प्रकरण उक्त वाद के पुनः सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जावे। वकील गैर सायल द्वारा No objection pleaded किया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत संबंधित वाद पत्र प्रकरण सं. 345/83 के अनुसार उक्त प्रकरण में 26.9.1983 आगामी तारीख नियत थी। प्रकरण किसी कारण वश रिकार्ड रूम में जमा हो गया। वादिया द्वारा उक्त प्रकरण में 1983 के बाद वर्ष 2005 में ध्यान में आया। 1983 के 22 साल बाद प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रा० पत्र पेश किया गया। जबकि मियाद बाद धारा 188 RTA का था। वादिया द्वारा अन्य प्रकरण राजीव गांधी डायरेक्ट विरुद्ध कमीशन हेतु विभिन्न न्यायालय में पेश किये गये को माननीय न्यायालय द्वारा लाभ देते स्वीकार कर दिये गये। प्रार्थी द्वारा न्याया० को समय 22 साल बाद प्रार्थना पत्र पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया है जो समय अवधि बाद प्रस्तुत किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काफी लम्बे समय के बाद प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थी का प्रा० पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है निर्णय बाद मिलाया जाकर सिर दाखिल दफ्तर किया गया।

दिव्यांशु शर्मा
उप खण्ड अधिकारी
बारां
RAS
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:22:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner